



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2019/आश्विन 1, 1941

No. 557]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019/ASVINA 1, 1941

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि. 682(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 में, नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“15क. सदस्यों की तैनाती और स्थानांतरण – (1) किसी सदस्य की आरंभिक तैनाती अध्यक्ष के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) विभिन्न न्यायपीठों के लिए पश्चातवर्ती स्थानांतरण अध्यक्ष द्वारा साधारणतया निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :

(क) किसी सदस्य की तैनाती के प्रयोजन के लिए उसकी क्षमता या अन्यथा में उसकी दक्षता, निपटान और अन्य सुसंगत कारक सम्मिलित होंगे;

- (ख) किसी सदस्य की पर्याप्त और तर्कपूर्ण कारणों के सिवाय उस स्थान पर तैनाती नहीं की जाएगी, जहां उसने पूर्व में, यथास्थिति, एक अधिवक्ता या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या लागत लेखापाल के रूप में व्यवसाय कर रहा था;
- (ग) किसी सदस्य की उस स्थान पर तैनाती नहीं की जा सकेगी, जहां उसका पिता या माता, पति या पत्नी या निकट संबंधी कंपनी विधि मामलों में एक अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या लागत लेखापाल के रूप में व्यवसाय कर रहा है;
- (घ) किसी सदस्य की, पर्याप्त और तर्कपूर्ण कारणों के सिवाय तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए एक स्थान पर तैनाती नहीं की जाएगी और साधारणतया किसी सदस्य की तैनाती ऐसे स्थान पर नहीं की जा सकेगी, जहां वह पूर्व में तैनात था, जब तक दो वर्ष की अवधि बीत नहीं जाती है;
- (ङ) साधारणतया किसी सदस्य को सिवाय प्रशासनिक आधार पर या वैयक्तिक अनुरोध के आधार पर किसी स्थान पर तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- (3). वैयक्तिक अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के अंतर्गत जैसा कि गंभीर अस्वस्थता का आधार, बच्चों की शिक्षा में गंभीर विसंधान होना, अपरिहार्य पारिवारिक जिम्मेदारियां पर विचार करना आयेगा; तथापि वैयक्तिक अनुरोध पर स्थानांतरण का विचार उप-नियम (2) में प्रगणित कारकों पर विचार के अधीन होगा।
- (4). प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण केवल केंद्रीय सरकार के परामर्श से ही होगा।”

[फा.सं. ए-45011/5/2019-एडी IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का.नि. सं. 729(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. 632(अ) तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23th September, 2019

**G.S.R. 682(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013(18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Tribunal (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of President and other Members) Rules, 2015 namely :—

1. (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of President and other Members) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Company Law Tribunal (Salary, Allowances and other terms and conditions of service of President and other Members) Rules, 2015, after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—

**“15 A. Posting and transfer of Members.** - (1) Initial posting of a Member shall be done by the Central Government in consultation with the President.

(2) Subsequent transfers to different Benches shall be done by the President having regard ordinarily to the following:—

(a) the capacity or otherwise of the Member for the purpose of his posting, including his efficiency, disposal and other relevant factors;

- (b) a Member save and except for sufficient and cogent reasons shall not be posted at a place where he had earlier been practising as an Advocate or a Chartered Accountant, Company Secretary or Cost Accountant, as the case may be;
- (c) a Member may not be posted at a place where any of his parents, spouse or other close relation is practising as an Advocate or a Chartered Accountant, Company Secretary or Cost Accountant in Company Law matters;
- (d) save and except for sufficient and cogent reasons, the Member shall not be posted at a place for a period exceeding three years, and ordinarily, a Member may not be posted at a place where he was earlier posted unless a period of two years has elapsed;
- (e) ordinarily a Member shall not be transferred before completion of three years at a station except on administrative grounds or on personal request basis.
- (3) Transfer on personal request basis shall include considerations such as serious medical grounds, serious dislocation in children's education, unavoidable family responsibilities; however consideration of transfer on personal request shall be subject to consideration of factors enumerated in sub-rule (2).
- (4) Transfer on administrative grounds shall be made only in consultation with the Central Government.”.

[F. No. A-45011/5/2019-Ad-IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 729(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2015 and subsequently amended vide number 632(E) dated the 12<sup>th</sup> July, 2018.